

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2716-SHRI VISHWANATH COLLEGE OF PHARMACY,VILLAGE-KALAN POST-KALAN SULTANPUR-222101

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

संलग्नक: दिनांक: 15/05/2019

-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 10/05/2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/जमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्व 3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संशुद्धित करने वाली नई संस्था का प्रकरण स्थापित किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मॉडर्न विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया

“ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित क्षमता
1	2716	श्री विठ्ठलाय लालदास आरु फार्मेसी, बिलेज-कलान, पीपट-कलान, जिला-मुल्तानपुर-222101	डिप्लोमा इन फार्मेसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समितियों द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडीपेंडेंट पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,00,000/- अर्थात् दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45,00,000/- प्रायोगिक एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22,50,00,00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रस्ताव धारक/प्राप्त से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त धारक/प्राप्तों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले आकांक्षित प्रणाली होने, और तदनुसार

(Signature)

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
भारत प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/राष्ट्रीय सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

-कार्यालय शीप-

अखिल भारतीय जनजातीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा संकेत सं. 2020-21 हेतु विद्यार्थी सम्बन्धी शिक्षण संस्थाओं को अनुपादन प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार की आज्ञावली में परिवर्तन किया गया है। यहाँ में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य व्यय पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त से अनुपालन में सम्बद्धता समिति की बैठक के पद 3 में दिल्ली में इन कार्यों पर पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रारम्भ रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श के निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

विश्वी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मैसी वाचनालय संयोजित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा अन्य संस्थाएं अनुपादन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गए अनुपादन विस्तार को अनुपालन करते नाम के सम्बद्ध संयोजित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदान अनुपादन विस्तार के अनुपालन में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निम्नलिखित निर्णय को अनुपालन में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सित्नांकित हर्दी के अधीन सम्बद्धता एवं उक्तमें उचित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुपादन प्रदान किया गया	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुपादन प्रदान किया गया
1	श्री विद्यानाथ अरवली जी. प्रसाद, शिक्षण-संस्था, पी.एन.सिटी लखनऊ	श्री विद्यानाथ अरवली जी. प्रसाद, शिक्षण-संस्था, पी.एन.सिटी लखनऊ	विद्यानाथ अरवली प्रस्तावी	हां	हां

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उक्त प्रदान प्राथमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमव्यवस्था, 2016 संस्था अन्य निर्दिष्ट नियमों पर कार्य करेगी तथा मुक्त विचार समिति द्वारा निर्धारित मुख्य और सहायक शिक्षक पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 20,00,000/- प्रत्येक से वार्षिक कार्मैसी वाचनालय हेतु ₹ 10-15,00,000/- प्रत्येक का एक लाख से अधिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक कार्मैसी वाचनालय के निर्धारित) हेतु ₹ 20-30,00,000/- प्रत्येक का एक है। अंतर्गत छत्र/छात्र से प्राप्त किये जायेंगे। सम्बद्धता की प्रतिनिधि छात्र/छात्रिका के एक से सम्बद्ध में समग्र-समग्र पर सातवें (7) चैतन्य किये जाएं। यहाँ सातवें प्रभावी हों, और तदनुसार कार्यवाही किया

24

2020-19-9 13:27